कार्यालयः– मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, मेड़ता ।

क्रमांकः 07 दिनांक : 12.04.2018

–ःआदेशः–

इस न्यायालय/अधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक–..भर्ती/च0श्रे0क0/2018/01 दिनांक 26.02.2018 के क्रम में चयनित/सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम 1999 (यथा समय संशोधित नियम) एंव इस सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर रनिंग पे–बेण्ड–1 (5200–20,200) ग्रेड पे–1700/रूपये में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक प. 11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांकित 12.03.2008 द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान पर दो वर्ष के प्रोबेशन पीरियड की अवधि में 6670/–रूपये (अक्षरे छः हजार छः सौ सत्तर रूपये) प्रतिमाह Fixed पारिश्रमिक पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अस्थाई तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	रोल नम्बर	चयनित वर्ग	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्मतिथि
1.	33	सामान्य	पूरनचन्द कटारा पुत्र श्री सुदामा प्रसाद कटारा, मकान नं. 17, ग्राम सिरौद, तह. रूपवास, जिला भरतपुर पिन 321403	01.02.1992
2.	335	सामान्य	सीताराम हरिजन पुत्र श्री छोटूराम हरिजन, गांव बापुड़न्दा, पोस्ट बरोल तह. मालपुरा जिला टोंक	30.07.1982
3.	329	सामान्य	योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह, सीएच/23 सेनापती भवन के पीछे हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर	29.08.1990
4.	10	सामान्य	मदन लाल शर्मा पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा, ग्राम विमलपुरा, पोस्ट कानरपुरा, वाया कालाडेरा तह. चौमू जिला जयपुर पिन 303801	15.07.1995
5.	746	सामान्य	प्रणवेन्द्र जैमन पुत्र श्री गिरिराज प्रसाद जैमन, 149 रामपथ सूर्यनगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर	22.07.1991
6.	409	अ.जा.	महेन्द्र राम पुत्र श्री कुनाराम, जाति सरगरा 182 सरगरो का बास गांव थरासनी पंचायत मैव तह. सौजत सिटी जिला पाली पिन 306104	01.09.1988

नोटः– उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन निम्न लिखित शर्तों के अधीन किया जाता हैः–

1. यह कि उक्त नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांकित 12.03.2008 द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन पर दो वर्ष के प्रोबेशन पीरियड की अवधि में 6670/–रूपये (अक्षरे छः हजार छः सौ सत्तर रूपये) Fixed पारिश्रमिक देय होगा। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेने पर अभ्यर्थियों को शर्तों के अधीन नियमानुसार रनिंग पे–बेण्ड–1 (5200–20,200) ग्रेड पे–1700/–रूपये प्रतिमाह की वेतन श्रृंखला देय होगी।

2. सभी नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम 1999 के नियम एवं राज्य सरकार के समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम उक्त कर्मचारीगण/अभ्यर्थीगण पर लागू होंगे।

3. उक्त अभ्यर्थीगण में से किसी का भी कार्य/व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा पदानुरूप कार्य नहीं किये जाने पर उसकी सेवाऐं बिना कारण बताये अथवा बिना कोई नोटिस दिये समाप्त की जा सकेंगी।

4. प्रथम 6 माह में कार्य संतोष जनक पाये जाने पर परिवीक्षा काल एक साल अथवा समुचित अंतराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परिवीक्षा काल में कार्य व व्यवहार संतोषप्रद होने पर उपरोक्त वर्णित वेतन मान में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।

5. उक्त अभ्यर्थीगण को कर्तव्य पर उपस्थित होते समय सम्बंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपनी आयु एवं शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी मूल प्रमाण पत्र तथा राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत मान्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे कर्तव्य पर नहीं लिया जावेगा।

न्यायाधीश
मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण
मेड़ता (नागौर)

6. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों के सम्बंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवाऐं समाप्त की जा सकेंगी।

7. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन मेडीकल पॉलिसी लेने एवं चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बंध में राज्य सरकार के सम्बंधित नियम/परिपत्र लागू होंगे।

8. अभ्यर्थी पर राज्य सरकार के सम्बंधित नियमों/परिपत्रों के अधीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू होगी।

9. अभ्यर्थीगण को इस न्यायालय/अधिकरण में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए दिनांक 11.05.2018 तक समय प्रदान किया जाता है। इस न्यायालय/अधिकरण में दिनांक 11.05.2018 तक सम्बंधित अभ्यर्थी द्वारा कर्तव्य पर उपस्थिति नहीं देने पर अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा।

12.4.18

न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
मेड़ता

क्रमांकः 43 दिनांकः 12/04/18

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश, मेड़ता।
3. सर्वश्री..............
4. लेखा शाखा/कोष कार्यालय मेड़ता को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. निजी/रक्षित एवं सम्बंधित पत्रावली।
6. सिस्टम, अधिकारी, DJ Court Merta।

12.4.18

न्यायाधीश
मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण
मेड़ता

न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
मेड़ता